:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक/2288/निगरानी/पी0बी0आर0/2012–आदेश दिनांक 13–07–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर–प्रकरण क्रमांक 176/2010–11/निगरानी।

1. गुड्डीबाई पत्नी राधेश्याम जाति यादव, उम्र 43 साल,धन्धा खेती,निवासी ग्राम सुहाया,तहसील व जिला गुना,म0प्र0।
2. राधेश्याम पुत्र भगवानसिंह यादव,उम्र 48 साल,धन्धा खेती,निवासी ग्राम सुहाया, तहसील व जिला गुना,म0प्र0।

——निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. कमलाबाई वेवा घूरिया सहरिया।
2. सरोसापुत्र घूरिया सहरिया।
3. रामस्वरूप पुत्र घूरिया सहरिया।
4. श्री किशन पुत्र घूरिया सहरिया।
5. मांगीबाई पुत्री घूरिया सहरिया।
6. गजेन्द्र पुत्र घूरिया सहरिया।
7. नवल पुत्र घूरिया सहरिया। सभी निवासीगण ग्राम रूठियाई, तहसील राघौगढ,जिला गुना,म0प्र0।
8. म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर,जिला गुना।

——गैरनिगरानीकर्तागण

1. श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक——————निगरानीकर्तागण के लिये।
2. श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक——————गैरनिगरानीकर्तागण के लिये।

(आज दिनांक 18-5-18 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 176/2010–11/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सुहाया तहसील गुना में स्थित प्रशनाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 258/9 रकवा 2.090 है0 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी भू–दान पट्टाधारी के रूप में गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक–1 के पति एवं 2 लगायत 7 के पिता घूरिया थे। निगरानीकर्ता–1 को वादग्रस्त भूमि का पट्टा क्रमांक 4744 दिनांक 08.06.92 से अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा भू–दान भूमिस्वामी का पट्टा प्रदान किया गया। दिनांक 19.01.98 को भू–दान पट्टाधारी घुरिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,गुना के समक्ष भू–दान की भूमि त्याग करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी,गुना द्वारा दिनांक 19.01.98 से घूरिया द्वारा दिया गया तयाग पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि को पुनः भू–दान शासकीय घोषित की गयी। अभिलिखित भूमिस्वामी घूरिया की मृत्यु हो जाने के बाद घूरिया के वैध वारिसानों गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुना द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 4744 दिनांक 08.06.92 एवं घूरिया द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र के आधार पर पारित आदेश दिनांक 19.01.98 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा अपर कलेक्टर,जिला गुना के द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/2008–09/निगरानी माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 08.12.2010 से निगरानी स्वीकार करते हुये निगरानीकर्ता–1 के हक में हुआ पट्टा क्रमांक 4744 दिनांक 08.06.92 तथा अनुविभागीय अधिकारी,गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.98 निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर भूरिया के फौत हो जाने के कारण उसके वैध वारिसान गैरनिगरानीकर्तागण 1 लगायत 7 का नाम शासकीय राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। अपर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2010 से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण के द्वारा अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 176/2010–11/निगरानी पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 13.07.2012 से निरस्त की जाकर अपर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2010 यथावत रखा गया। परिणामतः निगरानीकर्तागण के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा अपर कलेक्टर, जिला गुना के न्यायालय में अवधिवाह्य निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, जिसे स्वीकार करने में अपर कलेक्टर,गुना द्वारा त्रृटि की गयी है। अपने तर्क मे यह भी बताया गया कि गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा घुरिया को भू–दान का पट्टा कब और किस दिनांक को हुआ,इस संबंध में कोई पट्टा पेश नहीं किया गया। केवल कल्पनाओं एवं कयासों के आधार पर पारित आदेश स्वतः ही अवैध है। यह भी बताया है कि

प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 258/9 रकवा 2.090 है0 का पट्टा दिनांक 08.06.92 को निगरानीकर्ता–1 के हक में अनुविभागीय अधिकारी,गुना द्वारा दिया गया था, जिसका अमल भी शासकीय राजस्व अभिलेखों में हो चुका है। अपर कलेक्टर,जिला गुना का यह मानना कि भू–दान यज्ञ वर्ष 1991 में समाप्त हुआ है, गलत है भू–दान यज्ञ बोर्ड वर्ष 1992 में समाप्त किया गया था तथा निगरानीकर्ता–1 को उससे पहिले ही पट्टा प्राप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर,जिला गुना द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था, किन्तु अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा उसे स्थिर रखे जाने एवं निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त करने मे भी भूल की गयी है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया जावे तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये है कि निगरानीकर्तागण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण न तो अपर कलेक्टर,जिला गुना के समक्ष एवं न अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि उसे पट्टा क्रमांक 4744 दिनांक 08.06.92 किसके द्वारा प्रदान किया गया तथा किस प्रकरण क्रमांक व आदेश दिनांक से दिया गया। यह भी तर्क दिये गये कि जब राजस्व अभिलेखों में घूरिया का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1997–98 तक दर्ज रहा है,तब वर्ष 1992 में केसे पट्टा हो गया। अपने तर्क में यह भी बताया है कि अभिलिखित भूमिस्वामी द्वारा दिनांक 19.01.98 को अपना त्याग–पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसी दिनांक 19.01.98 को आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि को पुनः भू–दान शासकीय घोषित की गयी। यदि 1992 का पट्टा निगरानीकर्ता–1 को होता तब उसकी प्रविष्टि भी यथा समय के खसरों में होती, जबकि खसरों में घूरिया का नाम ही 1998 तक राजस्व अभिलेख में दर्ज था। अनुविभागीय अधिकारी,गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.98 तथा प्रश्नाधीन भूमि मृतक घूरिया के वारिसानों के नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज करने के संबंध में अपर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जाकर आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत आदेश था जिसे अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा यथावत रखे जाने में कोई अनियमितता नहीं की गयी है। अतः दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत आदेश हैं। अतः निगरानी निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपर कलेक्टर,जिला गुना एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा अपने आदेशों में प्रकरण के तथ्यों पर गंभीरता से विचार करने के उपरांत पूर्ण एवं सुस्पष्ट विवेचना की जा चुकी

है। पुनः उसी को दोहराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाता हूं। निगरानीकर्तागण के अभिभाषक का यह कहना कि निगरानीकता के हक में पट्ट क्रमांक 4744 दिनांक 08.06.92 को हुआ है और उसके आधार पर उसका नाम भी राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। निगरानीकर्तागण के अभिभाषक के द्वारा अपने इस अभिवचन के संबंध में और न्यायालय की पुष्टि हेतु ऐसा एक भी प्रमाण पेश नही किया गया, जिसके आधार पर निगरानीकर्तागण अभिभाषक के द्वारा कहे गये अभिवचन को बल प्राप्त होता हो। यदि निगरानीकर्तागण के पास कोई पट्टा था तो उसकी मूल प्रति व किस प्रकरण क्रमाक व दिनांक तथा किस अधिकारी के द्वारा जारी किया गया, प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिये था। केवल निगरानी मेमो में लिख देना या बहस के समय मौखिक रूप से कह देना पर्याप्त आधार नहीं है। जहां तक निगरानीकर्तागण के अभिभाषक का यह कहना कि गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा भू–दान का पट्टा पेश नहीं किया गया, यह तर्क स्वीकार करने योग्यय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण में कई वर्षो के खसरों की प्रतियां लगी हुई है, जिनमें प्रश्नाधीन भूमि पर घूरिया जो कि गैरनिगरानीकर्तागण के पति एवं पिता थे, का नाम भू–दान कृषक क रूप में दर्ज है। यह इन्द्राज वर्ष 1963–64 से निरंतर वर्ष 1997–98 तक रहा है। यह भी स्पष्ट है कि भू–दान यज्ञ बोड वर्ष 1992 में समाप्त हो चुका था तब घूरिया की मृत्यु हो जाने के बाद प्रश्नाधीन भूमि पर उसके वारिसानों के नाम ही नामान्तरण होना चाहिये था किन्तु ऐसे फर्जी पट्टे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्ता–1 का नाम दर्ज कर दिया गया था,\ घूरिया के वारिसानों के नाम पर भूमिस्वामी के रूप मे दर्ज किये जाने का जो निष्कर्ष अपर कलेक्टर,जिला गुना द्वारा निकाला गया है, वह उचित निष्कर्ष था, जिसे स्थिर रखे जाने में भी अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा कोई गलती नहीं की है। अतः दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण इस निगरानी में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं पाता हूं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर,जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2010 एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2012 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखे जाते है और प्रस्तुत निगरानी बिना किसी ठोस आधारों एवं साक्ष्य के अभाव में होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर